इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

#OPERATION CONVICTION

प्रेस नोट दिनांक- 15.04.2024

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000-10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000-10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.04.2016 को वादिनी संजनी पुत्री रामसिंह राठौर निवासी बेरीखेड़ा, बकेवर, इटावा द्वारा थाना बकेवर पर अभियुक्तगणों द्वारा वादिनी के पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर देने के संबंध में तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 150/16 धारा 302 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम पैरोकार हे0का0 जयचंद्र एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 देवेन्द्र तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को **आज दिनांक 15.04.2024 को अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि में मा0 न्यायालय ADJ- I इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा व 10,000- 10,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **चन्दन पुत्र मूंगालाल निवासी बेरीखेड़ा थाना बकेवर थाना जनपद इटावा।**
2. **छोटे पुत्र बलराम निवासी उपरोक्त।**
3. **दिनेश शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी उपरोक्त।**